

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
आकाशवाणी वाराणसी

Email- varanasi@prasarbharati.gov.in

दूरभाष-0542-2221054, मो0 9415304969

पत्रांक : वारा-3(5)/2019-20 परिवहन

दिनांक : 07-06-2019

ई निविदा

आकाशवाणी वाराणसी कार्यालय एवं आकाशवाणी मऊ में अनुबन्ध के आधार पर किराये पर टैक्सी की आपूर्ति हेतु निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज www.tendorwizard.com/PB से डाउनलोड किया जा सकता है-

1. यह निविदा एक ई-निविदा है, हार्ड कॉपी में ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. निविदादाता को रु01180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) (कर सहित) का ऑनलाईन भुगतान करते हुए ई-निविदा-2-दा पोर्टल पर मे0 आई.टी.आई. लि0, सी-62, द्वितीय तल, प्रीत विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092, हेल्पलाईन नं0 011-49424365 के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
3. निविदादाता के पास किसी भी प्रमाणन अधिकारी (Certifying Authority) द्वारा प्रदत्त क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
4. इच्छुक फर्म/व्यक्ति निविदा www.tendorwizard.com/PB पर अपलोड कर सकते हैं।
5. (i) निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि : 28.06.2019, 14.00 बजे
(ii) निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 28.06.2019, 16.00 बजे
(iii) निविदा हेतु अर्नेस्ट मनी जमा करने की तिथि : 28.06.2019, 12.00 बजे
6. निविदा दस्तावेज की वैधता के लिए अवधि, निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।
7. निविदा दाता निविदा प्रपत्र पूर्ण रूपेण भरकर व अन्य सभी दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरित ही अपलोड करें।
8. निविदा दाता द्वारा निविदा की दरें उद्धृत करने हेतु www.tendorwizard.com/PB पर अपलोड की गयी Exel Sheet का ही उपयोग करें।
9. प्रत्येक बोलीदाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में रु010000/- (रुपये दस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी के माध्यम से "पी0बी0बी0सी0आई0ए0आई0आर0 वाराणसी" (P.B.B.C.I.A.I.R. VARANASI) के पक्ष में बनवाकर निर्धारित तिथि/समय तक जमा करनी होगी एवं इसकी स्कैन कॉपी टेंडर के साथ अपलोड करें। अर्नेस्ट मनी की वैधता निविदा खुलने से 04 माह तक होनी चाहिए।
10. निविदा दाता को निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृति तिथि से 18 माह की वैधता का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी के माध्यम से "पी0बी0बी0सी0आई0ए0आई0आर0 वाराणसी" (P.B.B.C.I.A.I.R. VARANASI) के पक्ष में रु0.40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) का प्रतिभूति जमा (Performance Security) जमा करनी होगी।
11. जिस निविदा प्रस्तुतकर्ता की निविदा अनुमोदित होगी उसे रु0100/- के स्टाम्प पेपर पर संलग्न एग्रीमेण्ट के प्रारूप में स्वयं के खर्च पर एक अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. निविदा प्रस्तुतकर्ता के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा 5 वर्ष के अन्दर कय की गयी एवं पंजीकृत कम से कम 4 डीजल होण्डा सिटी / डिजायर / इंडिगो/इनोवा तथा निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य वाहन अच्छी हालत में और संतोषजनक सेवा देने योग्य होने चाहिये।
13. निविदा प्रस्तुतकर्ता/फर्म/एजेंसी के पास जी.एस.टी. नं0, एवं आयकर पैन नं0 होना चाहिये। फर्म/एजेंसी को आयकर, सेवाकर संबंधी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा दाता का वाराणसी शहर के व्यावसायिक क्षेत्र में एक कार्यालय होना चाहिए जिसका पता व टेलीफोन संख्या आकाशवाणी कार्यालय वाराणसी को उपलब्ध कराना होगा। ताकि फर्म के साथ पत्राचार किया जा सके और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी सम्पर्क कर सके।

क्रमशः पेज संख्या ...2 पर


07/06/19

15. घर एवं कार्यालय में टेलीफोन एवं मोबाइल फोन की सुविधा रखने वाले ट्रेवल एजेंसी ही आवेदन करें। निविदा प्रस्तुत करते समय टेलीफोन/मोबाइल फोन नं0. अवश्य सूचित किये जाना चाहिये साथ ही सेवा अवधि के दौरान यदि टेलीफोन/मोबाइल फोन नं0. परिवर्तित होता है तो इसकी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
16. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/एजेंसी को आर0टी0ओ कार्यालय में ट्रेवल एजेंसी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के पास इस आशय का पंजीकरण उपलब्ध न होने पर यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत करें सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाती है तो फर्म के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस आशय के पंजीकरण का दस्तावेज प्रमाण दर स्वीकार किये जाने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर इस अवधि में फर्म से ली गई सेवाओं हेतु भुगतान रोक जा सकता है एवं किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
17. फर्म द्वारा कय से 5 वर्ष के अन्दर की अवधि का वाहन उपलब्ध कराना होगा।
18. वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ भेजी जानी चाहिये। वाहन स्थानीय परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने चाहिये। निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अथवा निविदा स्वीकार होने के उपरान्त, माँगे जाने पर वाहनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
19. निविदा प्रस्तुतकर्ता को टैक्सी किराये पर देने हेतु दरें केवल www.tendorwizard.com/PB पर अपलोड की गयी **Exel Sheet** में ही प्रस्तुत करनी होंगी। इस प्रकार प्रस्तुत की गयी निविदाओं में से जिस निविदा की दरें केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी वाराणसी द्वारा स्वीकृत की जायेंगी वे दरें अनुबन्ध की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। इस अवधि को केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी वाराणसी द्वारा सम्बन्धित फर्म की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।
20. टैक्सी में लगे माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होने चाहिये यदि टैक्सी के माइलोमीटर खराब होते हैं अथवा उनकी मीटर रीडिंग बैक करवायी जाती है तो इसकी सूचना तत्काल लिखित रूप में कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। ऐसी सूचना उपलब्ध न कराने पर फर्म से अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, वाराणसी के विवेकाधीन होगा।
21. उपलब्ध कराये गये टैक्सी वाहन को आकाशवाणी वाराणसी के परिवहन अनुभाग में निर्धारित समय पर रिपोर्ट करना होगा तथा टैक्सी के माइलोमीटर की ओपनिंग आकाशवाणी महामूरगंज वाराणसी के स्टूडियो से शुरु होकर वलोजिंग आकाशवाणी स्टूडियो में ही मान्य होगी।
22. किसी एक अथवा अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने पर लॉग बुक में उनके द्वारा की गयी यात्रा का विवरण, दूरी का उल्लेख एवं सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाना फर्म/एजेंसी का दायित्व होगा। अपूर्ण/अहस्ताक्षरित लागबुक स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. रात्रि चार्जज दरें केवल उन्ही अनुबन्धित की गयी टैक्सी पर लागू होगी जो 22.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक कार्य पर रहेंगी अर्थात् रात्रि चार्जज दरें रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक प्रभावी होंगी।
24. उपलब्ध कराये गये टैक्सी वाहन को चलाये जाने की अवधि में उक्त वाहन या उसके चालक की किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान, मृत्यु या क्षति अत्यादि होने पर साथ ही फर्म/एजेंसी के चालक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुए नुकसान दूट-फूट मृत्यु या चोट लग जाने के लिए आकाशवाणी वाराणसी जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की किसी घटना/दुर्घटना के लिये फर्म/एजेंसी जिम्मेदार होगी।
25. फर्म/एजेंसी को आकाशवाणी वाराणसी के परिवहन अनुभाग से अगले दिन अनुबन्धित होने वाले वाहनों के लिये सूचना प्राप्त करनी होगी आकाशवाणी वाराणसी को अनुबन्धित किये गये वाहन को पहले से सूचित किये गए निर्धारित समय के बाद भी रोकने अथवा निर्धारित समय से पूर्व छोड़ने का अधिकार होगा।
26. आकाशवाणी वाराणसी द्वारा माँगे जाने पर फर्म/एजेंसी द्वारा वाहनों को समय पर न देने के कारण यदि वाहन अन्य ट्रेवल एजेंसी से किराये पर लिया जाता है तथा उसका भुगतान अनुमोदित दरों से अधिक होता है तो कुल अन्तर का भुगतान फर्म/एजेंसी से वसूल किया जायेगा।
27. निविदा स्वीकृत होने के सात दिनों के अन्दर फर्म/एजेंसी को निर्धारित फार्म में एक अनुबन्ध करना होगा जो कि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। फर्म/एजेंसी किन्ही परिस्थितियों में अनुबन्ध तोड़ना चाहे तो उसे केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी वाराणसी को 30 दिन पहले सूचित करना आवश्यक होगा।
28. फर्म/एजेंसी द्वारा अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का अनुपालन न करने पर केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी वाराणसी को बिना किसी सूचना के अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार होगा।

क्रमशः पेज संख्या ...3 पर


07/06/19

29. फर्म/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि चालक किसी भी परिस्थिति में वाहन को खराब हालत में, ड्रस अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में न चलाए, चालक के पास वैध कामर्शियल लाइसेंस वाहन के वैध कागजात इन्श्योरेंस इत्यादि हो। चालक को विनम्र-तथा समय का पाबंद होना चाहिये। चालक के आचरण के प्रति भी फर्म/एजेंसी उत्तरदायी होगी। यदि ड्राइवर द्वारा वाहन नियमों को तोड़ने के कारण चालान हो जाता है और यदि ड्राइवर पर कोई दण्ड लगाया जाता है तो उसके लिये फर्म/एजेंसी जिम्मेदार होगी।
30. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् फर्म/एजेंसी द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण यदि निविदा को निरस्त करने के पश्चात् नयी निविदाएं आमंत्रित की जाती है तो हर्जाने के रूप में फर्म/एजेंसी द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी वाराणसी द्वारा जब्त की जा सकती है।
31. केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी वाराणसी को यह अधिकार होगा कि निर्धारित मानक से कम निविदा प्राप्त होने की दशा में अथवा मानक स्तर तक निविदाएं प्राप्त होने पर भी वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
32. इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, वाराणसी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
33. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति के न्यायक्षेत्र वाराणसी होगा।
34. रैंकिंग के लिए निम्न फॉर्मूला लागू होगा—

Swift Dezire Non AC, First 8 Hours and 80 KM Service की 120 दिन की राशि

+Indigo Non AC, First 8 Hours and 80 KM Service की 120 दिन की राशि

+Swift Dezire Non AC, 24 Hrs per Month and 4500 Km की 06 माह की राशि

+Indigo Non AC, 24 Hrs per Month and 4500 Km की 06 माह की राशि

+Swift Dezire Non AC, Night charge की 25 दिन की राशि

+Indigo Non AC, Night charge की 25 दिन की राशि

+Swift Dezire Non AC, Per-KM Rate for the out station journey of more than 25 Km from the Head Quarter की 2000 Km की राशि

+Indigo Non AC, Per KM Rate for the out station journey of more than 25 Km from the Head Quarter की 2000 Km की राशि

नोट: यह फार्मूला केवल रैंकिंग के लिए है। फर्म Price Bid की Excel Sheet में दर की ही प्रविष्टि करें।


07/06/19

(एम. के. राय)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
कृते उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी)

आकाशवाणी वाराणसी में किराए पर टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का विवरण:-

1. टेण्डरिंग कंपनी/फर्म/एजेन्सी के प्रोपराईटर का पूरा नाम व पता- :.....
2. फर्म का परिवहन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक (पंजीकरण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :.....
3. फर्म/एजेन्सी का पैन कार्ड संख्या(छायाप्रति संलग्न करें) :.....
4. जी0एस0टी0 संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) :.....
5. फर्म के पास उपलब्ध वाहनों कि संख्या एवं पंजीकरण संख्या। (छायाप्रति संलग्न करें) :.....

6. फर्म / एजेन्सी के नाम बैंक एकाउन्ट का विवरण:-

बैंक का नाम	शाखा का नाम	एकाउन्ट नम्बर	खाता का प्रकार

7. फर्म/एजेन्सी के स्वामित्व में चालू/अच्छी स्थिति में उपलब्ध टैक्सी वाहनों का विवरण :

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	मेक	माडल	पंजीकरण संख्या	स्वामित्व

8. फर्म/एजेन्सी के पास किराए पर टैक्सी वाहन संचालन का अनुभव :.....वर्ष.....महीने।

9. फर्म/एजेन्सी के पास उपलब्ध टेलीफोन/ मोबाइल फोन नम्बर कार्यालय :.....
आवास :.....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी फर्म/ एजेन्सी से सम्बन्धित कम संख्या 01से 09 तक प्रस्तुत विवरण पूर्णतः सत्य है। उपलब्ध कराये गये विवरण में से कुछ भी किसी स्तर पर असत्य पाये जाने पर प्रस्तुत की जाने वाली निविदा निरस्त की जा सकती है एवं निविदा स्वीकृति हो जाने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है साथ ही फर्म/एजेन्सी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अनुबन्ध की अवधि में प्रस्तुत विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में मैं केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, वाराणसी को अविलम्ब सूचित करूंगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर.....
नाम
मोबाइल नं.
फर्म/एजेन्सी की मुहर.....

Prasar Bharati
(India's Public Service Broadcaster)
All India Radio: Varanasi

AGREEMENT

The memorandum of agreement made this (Dated).....

THIS AGREEMENT made between Head of Office, All India Radio, Varanasi hereinafter referred to as the First Party and M/s.....hereinafter referred to as the Second Party.

WHEREAS the first party is required Hire Vehicle in All India Radio, Varanasi and its attached offices/Kendras.

And WHEREAS the second party are the contractor for the supply of all types of Vehicle required and offered their services to the first party, for which the first party has agreed on the terms and condition hereafter set forth.

NOW IT IS MUTUALLY AGREED BETWEEN THE PARTIES AS UNDER

- 1- The period for supply of Vehicle will be one year w.e.f. However the first party have a right to terminate the agreement any time, if the services are found satisfactory and any conditions of this agreement has been violated by the second party. The agreement may also be extended beyond one year with the mutual understanding of both the parties.
- 2- That the second party will provide Vehicle to the first party for All India Radio, Varanasi and attached offices/Kendra after demand and if the second party fails to provide demanded number of Vehicle, then the first party have a right take any decision and the same will be binding upon the second party.
- 3- That the Vehicle provided by the second party will be within 05 years from purchase.
- 4- That the second party is furnishing the performance security in favour of first party for Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only) in the form of FDR/Bank Guarantee from the bank valid for 18 months from the date of entry in the agreement.
- 5- That if after its selection as Vehicle supplier the second party failed to follow the conditions of the agreement then the first party will have a right to cancel the agreement and forfeit the performance security deposited by the second party.
- 6- That the second party will follow the rules and regulations framed by the local Uttar Pradesh transport Commissioner thereof to the first party.
- 7- That the second party will provide the documents with regards payment of G.S.T. in accordance with rules of concerned department. In absence of required documents the payment can be withheld.
- 8- That the second party will ensure that each drivers provided by them will not have any adverse police/criminal records. The second party will make adequate enquires about character and antecedent of the drivers. The Character and antecedent of each drivers provided by the second party must have been verified by the service provider before deployment and collecting proof and certified copies of identity, voter I.D. card, Driving license, Bank account details, previous work experience and educational qualifications, residence certificate(permanent and present) will be deposited with the first party. The second party will also ensure the persons so deployed are medically fit. Whenever new person so deployed, the second party will also provide the above said documents.

- 9- That the second party will pay wages of preceding month to the drivers within a week in the next month.
- 10- That drivers provided by the second party will carry out the duties assigned to them between stipulated time, in the office of All India Radio or attached offices/Kendra.
- 11- That the first party will not be responsible for any financial loss or injuries to any Vehicle deployed by the second party in course of travel on road.
- 12- That for all the intends and purposes the second party will be the supplier within the meaning of different Acts and Rules in respect of the transport. The driver deployed by the second party will not have any claim whatsoever like employer and employees relationship against the first party. The second party is solely responsible for the redressal of grievances and resolution of disputes relating to the Vehicle and drivers.
- 13- The Vehicle and drivers deployed by the second party shall not claim nor shall be entitled to pay, perks and other facilities admissible to other regular/confirmed employee during the currency or after expiry of the agreement
- 14- The drivers deployed by the second party shall not claim nor shall be entitled to pay, perks and other facilities admissible to other regular/confirmed employee during the currency or after expiry of the agreement.
- 15- That the Vehicle and drivers deployed by the second party shall not claim any benefit, or compensation or regularization of deployment with the first party under the provisions of Rules and Acts.
- 16- The payment will be made by the first party to the second party, after deduction of taxes at source as per provisions of Income Tax.
- 17- The terms and conditions of the agreement can be changed by the first party on the basis of directions received from the Central Government/ Uttar Pradesh transport Commissioner and the second party will agree for the same.
- 18- In case of any dispute the decision of the first party will be final and for all disputes the Courts situated at Varanasi will have Jurisdiction.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have set their respective hands to these presents on the date, month and year hereinabove written.

Dy. Director General (Engg.)
All India Radio,
Varanasi
(Head of Office)

Authorise Representative of
the firm.

3- Witness-1.....

1- Witness 1.....

4- Witness 2.....

2- Witness 2.....